

सम्मिलित चिकित्सा परीक्षा, 2021  
अनुशंसा विवरण और कट-ऑफ अंक  
(श्रेणी-वार)

**श्रेणी-I**

क्रम सं.	श्रेणी	रिक्ति	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के बाद रिक्तियां	उम्मीदवारों का अनुशंसा (गैर बेंचमार्क विकलांगता वाले)	न्यूनतम अर्हता मानक* (500 में से)	अंतिम चरण में कट-ऑफ अंक (600 में से)
1	सामान्य	157	02	146@	94	292	370
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	174	03	171	216	256	331
3	अनुसूचित जाति	-	-	-	03	-	-
4	अनुसूचित जनजाति	-	-	-	-	-	-
5	ईडब्ल्यूएस	18	-	18	22	232	334
	<b>कुल</b>	<b>349</b>	<b>05</b>	<b>335</b>	<b>335</b>		
<b>बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी)</b>							
क.	बेंचमार्क विकलांगता-1	04	04 [02-सामान्य और 02-अपिव]	शून्य		122	219
ख.	बेंचमार्क विकलांगता-2	03	01 [01-अपिव]	02		105	188
ग.	बेंचमार्क विकलांगता-3	03	शून्य	03		131	-
घ.	बेंचमार्क विकलांगता -4 & 5	04	शून्य	04			
	<b>कुल</b>	<b>14</b>	<b>05</b>	<b>09</b>			

\* गैर बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पत्र में न्यूनतम 25% अंक तथा बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पत्र में न्यूनतम 10% अंक

@ बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं.36035/2/2017-स्था. (आर) दिनांक 15.01.2018 के नियम 8 के उपनियम 8.1 के अनुसरण में, सामान्य रिक्तियों में से 09 रिक्तियों (बेंचमार्क विकलांगता -2 वाले उम्मीदवारों के लिए 02, बेंचमार्क विकलांगता -3 वाले उम्मीदवारों के लिए 03 और बेंचमार्क विकलांगता 4 व 5 वाले उम्मीदवारों के लिए 04 रिक्तियां, उनके संबंधित रिक्तियों के लिए) को आगामी वर्ष के लिये आगे बढ़ाया गया है।

**श्रेणी-II**

क्रम सं	श्रेणी	रिक्ति	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार की अनुशंसा	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार का अनुशंसा के बाद रिक्तियां	उम्मीदवार का अनुशंसा (गैर बेंचमार्क विकलांगता वाले)	न्यूनतम अर्हता मानक* (500 में से)	अंतिम चरण में कट-ऑफ अंक (600 में से)
1	सामान्य	169	09	151 @	104	292	369
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	123	06	117	117	256	340
3	अनुसूचित जाति	86	01	85	85	243	286
4	अनुसूचित जनजाति	44	01	43	43	200	248
5	ईडब्ल्यूएस	74	-	74	74	232	298
	<b>कुल</b>	<b>496</b>	<b>17</b>	<b>470</b>	<b>423</b>		
<b>बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी)</b>							
क.	बेंचमार्क विकलांगता -1	17	17 [09-सामान्य, 06-अपिव, 01-अजा और 01-अजजा]	-		122	142
ख.	बेंचमार्क विकलांगता-2	03	शून्य	03		105	-
ग.	बेंचमार्क विकलांगता-3	03	शून्य	03		131	-
घ.	बेंचमार्क विकलांगता-4&5	03	शून्य	03			
	<b>कुल</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>09</b>			

\* गैर बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पत्र में न्यूनतम 25% अंक तथा बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पत्र में न्यूनतम 10% अंक

@ बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं.36035/2/2017-स्था. (आर) दिनांक 15.01.2018 के नियम 8 के उपनियम 8.1 के अनुसरण में, सामान्य रिक्तियों में से 09 रिक्तियों (बेंचमार्क विकलांगता -2 वाले उम्मीदवारों के लिए 03, बेंचमार्क विकलांगता -3 वाले उम्मीदवारों के लिए 03 और बेंचमार्क विकलांगता 4 व 5 वाले उम्मीदवारों के लिए 03 रिक्तियां, उनके संबंधित रिक्तियों के लिए) को आगामी वर्ष के लिये आगे बढ़ाया गया है।

**आरक्षित सूची**

सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी	कुल
47	36	02	09	94

### टाई-सिद्धान्त

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021 में, जहां पर भी दो या अधिक उम्मीदवारों ने समान कुल अंक प्राप्त किए हैं तो उसका (टाई का) समाधान आयोग द्वारा अनुमोदित सिद्धान्तों के अनुसरण किया गया है, अर्थात्

क) उम्र में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दिया गया है।

ख) यदि जन्म तिथि भी समान है, तो जिस उम्मीदवार की इंटरशिप की समाप्ति की तिथि/वर्ष पहले है, उसे उच्चतर रैंक दिया गया है।